

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

फ्रमांक :- शिविरा/मा/खेलकूद-4/35991/द्रायल बेस/2016-17/ दिनांक २५/८/२०१६
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक (मुख्यालय) शिक्षा

विषय :- नए खेलों को विद्यालयी खेल पंचांग / नियमावली में सम्मिलित करने / सम्मिलित न करने का अभिमत प्रेषित करने हेतु

प्रसंग :- हरा कार्यालय के समस्तखण्डक पत्र 312 दिनांक 05.07.2016 एवं 387 दिनांक 28.11.2017

उपरोक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत लेख है कि वर्तमान में शिक्षा विभागीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताएं साहित्यिक -सांस्कृतिक प्रवृत्तियां आयोजन नियमावली एवं मार्गदर्शिका 2005 में 18 खेल सम्मिलित है, तदानुसार 17,19 वर्ष छात्र-छात्रा प्रतियोगिताओं का आयोजन विभिन्न स्तरों पर उक्त नियमावली के अनुसार करवाया जाकर राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं में खेलवार दल संभागित्व हेतु भिजवाया जाता है।

उक्त नियमावली में सम्मिलित 18 खेलों के अलवा भी प्रतिवर्ष कतिपय खेलों को प्रतियोगिता आयोजन के, सीधे ही द्रावल आघार पर राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं में सम्बद्ध खेलदल का संभागित्व करवाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं। इन खेलों का विवरण निम्नानुसार है :-

बायिसिंग	राईफल शूटिंग	सेपक टक्करा	रोलबाल
साईबिलंग	यूनीफाईट	रोलर स्केटिंग	महिला कुश्ती
स्पीडबॉल	कूड़ी	मलखम्ब	टेनिस बाल क्रिकेट आदि अन्य खेल

उपरोक्त खेलों को विभागीय खेल पंचांग / खेलकूद नियमावली में सम्मिलित करने / सम्मिलित न करने की खेलवार स्पष्ट अभिशंधा / अभिमत निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर प्रेषित करें :-

1. सम्बद्ध खेल का प्रचलन कितने राजकीय / गैर राजकीय मान्यता प्राप्त माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में है ?
2. सम्बद्ध खेल के ज्ञानकार प्रशिक्षक / शासिकों की सूची ?
3. सम्बद्ध खेल बालकों के शारीरिक / मानसिक विकास में कितना सहायक है ?
4. सम्बद्ध खेल का आयोजन करने में होने वाला अनुमानित व्यय कितना होगा ?

उक्त 04 बिन्दुओं के आधार पर सम्बद्ध खेलों को विद्यालयी खेल पंचांग / खेलकूद नियमावली में सम्मिलित करने / सम्मिलित न करने के संबंध में आप हारा स्वहस्ताक्षरित अभिमत 15 दिवस में खेलकूद अनुभाग की ईमेल आईडी sec.sportsbkn@yahoo.com पर प्रेषित करें।

उल्लेखनीय है कि आप हारा खेल विशेष को विभागीय खेल पंचांग / नियमावली में सम्मिलित करने की अभिशंधा के आधार पर वह खेल विभागीय खेल पंचांग / नियमावली में सम्मिलित हो जाने की स्थिति में उक्त खेल की नियमानुसार प्रतियोगिताएं आप हारा आयोजित करनी होगी।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार वाहित सूचना प्रेषित करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

उप निदेशक (खेलकूद)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर